पत्रावली मे दोनो पक्षो के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है इसलिये आगे कोई कार्यवाही नही बाकी है।
शंकर सिंह
(हस्ताक्षर)

27/05/25

वकील वादी उपस्थित है। वादी स्वयं उप० /वकील प्रतिवादी श्री गजानन्द सिंह रावत उपस्थित है। वकील वादी श्री सुरेश डागलीय तथा वादी श्री शंकर सिंह द्वारा स्वयं उपस्थित होकर पत्रावली मे राजीनामा हो जाने से पत्रावली निर्णय करने बाबत पत्रावली आज ही तलब करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वकील प्रतिवादी तथा प्रतिवादी देवेन्द्र सिंह स्वयं उप./वकील

लगातार।

देवेन्द्र सिंह

(हस्ताक्षर)

आज 27/05/2025

वकील प्रतिवादी तथा प्रतिवादी स्वयं द्वारा उक्त बाबत अनापत्ति न्यायालय के समक्ष प्रकट की। अत: प्रार्थनापत्र वास्ते पत्रावली तलबी स्वीकार होने से पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। वकील वादी तथा वादी स्वयं द्वारा पत्रावली में निवेदन किया गया कि दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो गया है। इसलिए उक्त पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अत: पत्रावली को विड्रा किये जाने के आदेश पारित किये जावे। वकील प्रतिवादी तथा प्रतिवादी देवन्द्र द्वारा कथन किये गये कि पत्रावली में वादी प्रतिवादी के बीच राजीनामा हो चुका है। वकील वादी तथा प्रतिवादी और वादी स्वयं तथा प्रतिवादी को सुना गया। उभय पक्षकारों द्वारा पत्रावली में राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी तथा वादी स्वयं प्रकरण में राजीनामा होने से पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है तथा प्रकरण विड्रा किया जाना है। इस बाबत वकील वादी तथा वादी स्वयं द्वारा पत्रावली आदेशिका पर टिप्पणी दर्ज की है। ऐसी स्थिति में प्रकरण विड्रा होने से प्रकरण पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अत: पत्रावली पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली जेरन शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पिसांगन (अजमेर)